



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225251
CG-DL-E-18022021-225251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 668]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 जहिराबाद-विरूर-भालकी-निलंगा-निटुर-लातूर के लातूर जिले में (नया राष्ट्रीय महामार्ग 752क) के निर्माण (चैदा करने दो लेन पेव्हड शोल्डर (चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3)(4)(5)(6) और स्तंभ (7) में क्रमशा उल्लेखित जिलो, तालुकों, पुलिसधानों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थचानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप प्राधिकृत करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप, सक्षम अधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी, लातूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी

और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधि सूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियोंद्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 752क कि.मी. 49/150 से कि.मी. 64/936 (लोडेगा से लातूर) पर भूमि का अर्जन

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: लातूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: लातूर					
गांव का नाम: बाभलगाव					
1	119	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
2	120	निजी	शुष्क	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
3	121	निजी	शुष्क	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
4	136	निजी	शुष्क	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
5	168	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
6	169	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
7	178	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
8	179	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
9	181	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
10	182	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
11	196	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
12	197	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
13	198	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
14	200	निजी	शुष्क	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
15	217	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
16	218	निजी	शुष्क	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000

17	233	निजी	शुष्क	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
18	272	निजी	शुष्क	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
19	277	निजी	शुष्क	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
20	3	निजी	शुष्क	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
21	327	निजी	शुष्क	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
22	4	निजी	शुष्क	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: महाराणा प्रताप नगर					
1	82	निजी	शुष्क	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
2	99	निजी	शुष्क	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				1.3650	1.3650

[फा. सं. 12037/58/2017-MAH (P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 731(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required “Rehabilitation & Upgrading to Two laning with paved shoulder/Four Laning Configuration of NH-65-Jahirabad-Virur (NH-50) Bhalki (NH-52) Nilanga- Nitur-Latur in the stretch of land from **Km. 49/150 to Km. 64/936** (New NH 752K) in the district of **Latur** in the State of **Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional officer & Land Acquisition officer, Latur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from
Km. 49/150 to Km. 64/936 (Lodga to Latur) in the district of Latur in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: Latur			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Latur					
Village: Babhalgaon					
1	119	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
2	120	Private	Dry	0.0020000(Hectare)	0.0020000
3	121	Private	Dry	0.0010000(Hectare)	0.0010000
4	136	Private	Dry	0.0900000(Hectare)	0.0900000
5	168	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
6	169	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
7	178	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
8	179	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
9	181	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
10	182	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
11	196	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
12	197	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
13	198	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
14	200	Private	Dry	0.0020000(Hectare)	0.0020000
15	217	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
16	218	Private	Dry	0.0100000(Hectare)	0.0100000
17	233	Private	Dry	0.1000000(Hectare)	0.1000000
18	272	Private	Dry	0.0800000(Hectare)	0.0800000
19	277	Private	Dry	0.3000000(Hectare)	0.3000000
20	3	Private	Dry	0.2200000(Hectare)	0.2200000
21	327	Private	Dry	0.0800000(Hectare)	0.0800000
22	4	Private	Dry	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Village: Maharanapratapnagar					
1	82	Private	Dry	0.3000000(Hectare)	0.3000000
2	99	Private	Dry	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				1.3650	1.3650

[F. No. 12037/58/2017-MAH (P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Director